2020/00490

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री हरीश पुत्र श्री गलबाजी जाति रावल निवासी कोदरला तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा– स्थगन प्रार्थना–पत्र — **मुकदमा नं. 154 वर्ष 2020**

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.10.2020	प्रार्थी ने यह स्थगन प्रार्थना–पत्र नायबतहसीलदार पिण्डवाडा के मुकदमा सं. 165/2020 में पारित आदेश दिनांक 06.03.2020 के विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के साथ–साथ धारा 81 के तहत यह स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता श्री धर्मवीर आढा की एक पक्षीय बहस सुनी गई, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से नायब तहसीलदार पिण्डवाडा के निर्णय में सजा के आदेश की क्रियान्विति में अग्रिम आदेश तक रोक लगाई जाती है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब होकर पत्रावली दिनांक 20.11.2020 को पेश हो । जिला कलक्टर, सिरोही	
20.11.2020	अपीलांट/प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांट की अपील में सिविल कारावास की सजा निरस्त करने का निर्णय आज हो चुका है। अतः इस स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अब किसी तरह की कोई कार्यवाही अपेक्षित न[illegible]से इस स्थगन प्रार्थना–पत्र को इसी स्त[illegible] है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 17:10:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner